चित्रकूट-पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 10.04.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड में आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों एवं उपस्थित पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी साथ ही साथ पासिंग आउट परेड की तैयारी का जायजा लेकर प्रतिसार निरीक्षक को सुधार हेतु निर्देशित किया गया तथा परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन,एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों,112 पीआरवी वाहन तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को वाहनों की कमियों को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर,आरटीसी बैरक,सीपीसी कैन्टीन,मंदिर,भोजनालय,ऑर्मरी का निरीक्षण किया गया।
इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर श्री अरविन्द कुमार वर्मा,प्रतिसार निरीक्षक श्री रामशीष यादव,प्रभारी आरटीसी शिवमूरत यादव व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

(3).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण/बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक राजापुर श्री लाखन सिंह के मार्गदर्शन में 1. उ0नि0 नरेन्द्र यादव मय हमराह आरक्षी शुभम मिश्रा द्वारा अभियुक्त बाबूलाल पुत्र चोकरा निवासी रुपौली थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 20 अदद क्वार्टर देशी नाजायज शराब 2. उ0नि0 परशुराम पाण्डेय मय हमराह आरक्षी विमलेश द्वारा अभियुक्त रामराज निषाद पुत्र गजाधर प्रसाद निवासी बराछी थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 18 अदद क्वार्टर देशी नाजायज शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय व उनकी टीम द्वारा मु0न0 202/17 व मु0नि0 215/17 धारा 138 एनआईएक्ट के वारंटी अभियुक्त सुभाष सिंह पुत्र चन्दन सिंह निवासी खण्डेहा थाना मऊ जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-
1.उ0नि0 श्री राहुल पाण्डेय
2. मुख्य आरक्षी पवन तिवारी

(5).पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय चलाये जा रहे मादक पदार्थों का विनष्टीकरण/निस्तारण "ऑपरेशन दहन" के क्रम में माननीय न्यायालय एन0डी0पी0एस0 एक्ट/अपर सत्र कोर्ट चित्रकूट के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री सत्यपाल सिंह (जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी सदस्य) की उपस्थिति में थाना भरतकूप,राजापुर,पहाड़ी,सरधुवा,मऊ,मानिकपुर,बरगढ जनपद चित्रकूट के कुल 25 मुकदमों में 88.300 किलोग्राम नाजायज गांजा का विनष्टीकरण किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष सरधुवा श्री राम सिंह एवं पैरोकार आरक्षी अशोक यादव तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट चित्रकूट श्री तेज प्रताप सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट श्रीमती रेनू मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 10.04.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना सरधुवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 30/23 धारा 376 भादवि0 व 5m/6 पॉक्सो एक्ट के अभियुक्त उदला उर्फ प्रधान उर्फ बजेश पुत्र अमृत लाल निवासी ग्राम जमौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट जनपद चित्रकूट को 25 वर्ष का कठोर कारावास व 25000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

घटना का विवरणः-

दिनाँक 28.03.2023 को थाना सरधुवा अन्तर्गत निवासी एक वादी द्वारा थाना सरधुवा पर सूचना दी गयी कि उनकी नाबालिक पुत्री के साथ अभियुक्त उदला उर्फ प्रधान उर्फ बजेश उपरोक्त द्वारा दुष्कर्म किया गया। इस सूचना पर थाना सरधुवा में मु0अ0सं0 30/23 धारा 376 भादवि0 व 5ॅM/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन थानाध्यक्ष सरधुवा श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। अभियुक्त को दिनाँक 29.03.2023 को गिरफ्तार कर दिनाँक 16.04.2023 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रषित किया गया।

(7).

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव व उनकी टीम द्वारा घर में घुसकर नाबालिक बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना मऊ निवासी एक वादी द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी गई कि उनकी नाबालिक पुत्री के साथ अभियुक्त राजा पुत्र बल्ली निवासी ग्राम बंबूरी थाना मऊ जनपद चित्रकूट ने घर में घुसकर दुष्कर्म किया। इस सूचना पर थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 101/2026 धारा 65(1),333,351 बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट बनाम राजा उपरोक्त पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के मेडिकल, मा0 न्यायालय के समक्ष बयान धारा 183 बीएनएसएस के आधार पर आज दिनांक 10.04.2026 को मुकदमा उपरोक्त में आरोपी अभियुक्त राजा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव

2.आरक्षी सोनपाल सिंह

3.आरक्षी चालक संदीप यादव

(8). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राज कमल के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री आशुतोष

तिवारी व उनकी टीम द्वारा नाबालिक बालिका बहला फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म कर जबरन शादी करने के लिए मजबूर करने के आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

उल्लेखनीय है कि थाना रैपुरा निवासी एक वादी द्वारा थाना रैपुरा पर सूचना दी गई कि उनकी नाबालिक पुत्री के साथ अभियुक्त आदित्य वर्मा पुत्र संतोष वर्मा निवासी ग्राम अमूद थाना जरिया जनपद हमीरपुर बहला फुसलाकर ले गया। इस सूचना पर थाना रैपुरा में मु0अ0सं0 323/25 धारा 137(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में पीड़िता के मेडिकल, मा0 न्यायालय के समक्ष बयान धारा 183 बीएनएसएस के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 65(1),87, बीएनएस व 4(2) पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। आज दिनांक 10.04.2026 को थाना रैपुरा पुलिस टीम ने मुकदमा उपरोक्त के आरोपी अभियुक्त आदित्य उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम का नाम-

1.उ0नि0 श्री सुशील कुमार थाना रैपुरा

2.आरक्षी बब्बू राजा